(घ) यदि हां, तो सरकार की लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या योजनाएं हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) और (ख) जी, नहीं। खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता निम्नवत आंकी गई है:

वर्ष	उत्पादकता किलोग्राम/हैक्टेयर
1996-97	1614
1987-88	1552
1998-99	1627
1999-2000	1697

खाद्यान्न फसलों में चावल, गेहूं, मोटा अनाज, मक्का और दलहन शामिल हैं। चावल और गेहूं की उत्पादकता क्रमश: लगभग 2 मी. टन तथा 2.6 मी. टन प्रति हेक्टेयर है, परन्तु मोटे अनाज की उत्पादकता एक मी. टन प्रति हेक्टेयर से कुछ अधिक है, क्योंकि इसकी खेती सामान्यत: वर्षा सिंचित स्थितियों में की जाती है। दलहन की उत्पादकता लगभग 0.6 मी. टन प्रति हेक्टेयर है, क्योंकि यह कीटों, कृमियों तथा रोगों से क्षतिग्रस्त हो जाती है और इसकी खेती अधिकतर सीमान्त भूमि पर वर्षा सिंचित स्थिति में होती है।

(ग) और (घ) खाद्यान्न फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित एवं केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें कार्यान्वित की गई। इसके अलावा दलहन विकास कार्यक्रमों के माध्यम से भारत में दलहन फसलों के समग्र विकास के लिए दलहन प्रौद्योगिकी मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज से संबंधित स्कीमें वृहद प्रबंध पद्धति में शामिल कर ली गई हैं, ताकि विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की कृषि जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त क्षेत्रीय रूप से भिन्न प्रौद्योगिकी अपनाई जा सके।

मध्याह्न 12.00 बजे

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) का प्रक्षेपण

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत के भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) की प्रथम जांच उड़ान श्रीहरिकोटा से 18 अप्रैल, 2001 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई।

जी.एस.एल.वी. भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अभी तक शुरू किये गये मिशनों में अत्यन्त प्रौद्योगिकीय चुनौती वाला मिशन रहा है और इसके सफल प्रमोचन ने हमारी अन्तरिक्ष उपलब्धियों में एक नया आयाम जोड़ा है। जी.एस.एल.वी. के एक बार नियमित सेवा में अभिचालित होने के बाद हमें 36,000 कि.मी. की ऊंचाई की कक्षा में इन्सैट श्रेणी के संचार उपग्रहों के प्रमोचन की क्षमता प्रदान करेगा।

जी.एस.एल.वी. हमारे वैज्ञानिकों द्वारा मुख्य रूप से स्वदेश निर्मित परिष्कृत प्रौद्योगिकियों के संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें ठोस, द्रव और क्रायोजेनिक नोदन चरणों का उपयोग किया गया है। क्रायोजेनिक चरण की आपूर्ति रूस द्वारा की गई है। लगभग 400 टन भार के 49 मीटर ऊंचे जी.एस.एल.वी. ने 1540 कि.ग्रा. भार के जीसैट-1 उपग्रह सहित भारतीय समयानुसार सायं 3.43 बजे श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी। त्रुटि रहित विलोम गणना के बाद तथा उड़ान के 17 मिनटों में उपग्रह को इसकी वांछित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया।

जीसैट-1 उपग्रह से प्राप्त प्रथम संकेतों से उपग्रह के सामान्य कार्य निष्पादन का पता चला है। आगामी कुछ दिनों में उपग्रह को युक्तिचालन द्वारा इसकी अंतिम भूस्थायी कक्षा में पहुंचा दिया जायेगा। यह उपग्रह अंकीय श्रव्य प्रसारण, इन्टरनेट सेवाएं और संपीड़ित अंकीय टी.वी. सम्प्रेषण के क्षेत्र में परीक्षण आयोजित करने के लिए यंत्रों को ले गया है।

जी.एस.एल.वी. मिशन के सफलतापूर्वक पूरा होने से भारत में उद्योगों और शैक्षिक संस्थाओं की सहायता से इसरो केन्द्रों के एक दशक के प्रयासों की पूर्ति हुई है।

मैं इस माननीय सदन से अनुरोध करूंगा कि वे जी.एस.एल.वी. के सफल प्रमोचन में शामिल इसरो और अन्य सभी व्यक्तियों को बधाई देने में मेरा साथ दें।

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हम सबके लिए अत्यंत गर्व की बात है कि कल जी.एस.एल.वी. उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रमोचन कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की अग्रणी पंक्ति में आ जाएगा और सूचना तथा संचार क्रांति में पूर्ण भागीदारी का भरपूर अवसर हमें मिलेगा। जी.एस.एल.वी. उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रमोचन

पिछली सरकारों द्वारा बनाई गई व्यापक कार्य योजना की पराकाष्ठा है ...*(व्यवधान)* जी हां, यह सच है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

श्रीमती सोनिया गांधी: पहला एल.एल.वी. का प्रमोचन इंदिरा जी के कार्यकाल के दौरान किया गया था और इसके बाद पी.एस.एल.वी. का प्रमोचन किया गया। अत:, यह हमारे लिए अत्यन्त और विशेष गर्व की बात है कि यह कार्यक्रम पूरा हो गया है।

मैं, अपनी और कांग्रेस पार्टी की ओर से वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को बधाई देती हूं जिनकी निष्ठा और वचनबद्धता ने इसे संभव बनाया। धन्यवाद ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैं अपनी और इस सभा की ओर से हमारे वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं जिन्होंने कल, 18 अप्रैल, 2001 को अपराह्न 3.43 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जी.एस.एल.वी. डी-1 के प्रमोचन को सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम किया।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा, सभा पटल पर रखे गए पत्रों पर विचार करेगी।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान लंबित विषयों की ओर दिलाना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री माधवराव सिंधिया, आप सभा पटल पर पत्र रखे जाने के पश्चात् इस मामले को उठा सकते हैं।

श्री माधवराव सिंधिया: जी नहीं, महोदय। सरकार पिछले कई दिनों से इस मुद्दे पर अपना निर्णय स्थगित करती रही है ...*(व्यवधान)* अब उन्होंने बहुत कठोर रुख अपनाया है ...*(व्यवधान)* अब उन्हें निर्णय लेना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री माधवराव सिंधिया, आप सभा पटल पर पत्र रखे जाने के पश्चात्, इस मामले को उठा सकते हैं।

अपराह्न 12.05$^{1}/_{2}$ बजे

(इस समय, श्री कांतिलाल भूरिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.06 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) कम्पनी (अंतरीय मतदान अधिकारों के साथ शेयर पूंजी का निर्गम) नियम, 2001 जो 9 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 167(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) कम्पनी (छोटे शेयरधारकों के निदेशक की नियुक्ति) नियम, 2001 जो 9 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 168(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3532/2001]

[हिन्दी]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3533/2001]

अपराह्न 12.06$^{1}/_{2}$ बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय मैं 20 फरवरी, 2001 को सभा में दी गयी सूचना के बाद 13वीं लोक सभा के चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त